

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिला अधिकारी

विनियमित क्षेत्र, अमरोहा

स्वीकृति-पत्र

पत्रांक 420

मानचित्र संख्या 106/2017

दिनांक 17/3/2021

श्री/श्रीमति/मैसर्स

धर्म खुराना व किशनचन्द्र खुराना, श्रीमती सावित्री खुराना
पत्नी धर्म खुराना, धीरज खुराना पुत्र धर्म खुराना निवासी-

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11-11-2020 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित 285 मूल्यांकन

भवन निर्माण की मौहल्ला/कालोनी/ग्राम अमरोहा वाल्टर चुंगी खसय सं० 3344, 3344/1 व 3346 काठिंड मुरादाबाद

निम्नलिखित शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो शिड अमरोहा/ग्रप हाउसिंग

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से केवल पाँच वर्ष वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासनीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका (सुधार मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (Effect) नहीं होता है।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी वहाँ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि जब खुले तो उसके पल्ले (Leaves) किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव प्रोजेक्ट न हो।
7. बिजली की लाइन 5 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूरा प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्फेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। भू-स्वामित्व किसी प्रकार का विवाद होने पर सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षों द्वारा तय कराया जायेगा।
10. यदि मानचित्र 30 प्र० निर्माण कार्य विनियम अधिनियम की धारा नं० 7.2 अन्तर्गत किसी अन्य शर्तों (Conditionss) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्तें भी मान्य होंगी।
11. वृक्षारोपण का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। आपका ध्यान नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा 30 प्र० (भवन निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में आप कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

1-एक सैट स्वीकृत मानचित्र



नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा